

स्वामी/प्रबन्धक,

Cradle Public School,

Nimbuchaur, Kotdwar,

District- Pauri Garhwal

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिफ नम्बर:-79851947, दिनांक: 17.05.2023 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोटद्वार द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी कोटद्वार की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक स्कूल भवन है। संस्थान के प्लॉट का क्षेत्रफल 1265 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 648 वर्ग मी० है। भवन/संस्थान में कुल G+2 तल है जिसकी ऊँचाई 09 मी० है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट है/ नहीं है, जिसका क्षेत्रफल ..... वर्ग मी० है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 31 मई 2023 से 30 मई 2026(3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है न किये जाने पर प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान के मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अन्य विभाग द्वारा आपत्ति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक होगी एवं अन्य विभाग/व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
9. उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2016 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है।
10. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(अभिनव त्यागी)  
31/05/23

(अभिनव त्यागी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
हरिद्वार

प्रतिलिपि: अग्निशमन अधिकारी कोटद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।